राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141– 2796625 मेल–Rajunani444@yahoo.in

क्रमांकः सामा./विविध/2016–17/1191-93 दिनांकः– 06.04.2017

समस्त चिकित्साधिकारी
राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय,
सीएचसी,पीएचसी,जिला चिकित्सालय
राजस्थान ।

विषय :– राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना के क्रियान्वयन के क्रम में ।

प्रसंग :– मिशन निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी आयुष भवन जयपुर के पत्र क्रमांक प.11(7)रा.आ.मि./डी.बी.टी./2016–17/395–403 जयपुर दिनांक 15.02.2017 ।

उपरोक्त प्रसांगिक विषयान्र्तगत आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जारी निर्देशों के क्रम में निर्देशानुसार निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया हैं एवं निदेशक महोदय आयुर्वेद विभाग द्वारा समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ।अतः भारत सरकार द्वारा जारी पत्र एवं इसके क्रियान्वयन हेतु तदनुसार मासिक सूचना समय पर जिला आयुर्वेद अधिकारी को प्रेषित करते हुये एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें ।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सहायक निदेशक

क्रमांकः सामा./विविध/2016–17/1191-93 दिनांकः–06.04.2017

प्रतिलिपि :–

1. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय आयुष मिशन,राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी जयपुर ।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर ।

–sd–
सहायक निदेशक

प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण (Direct Benefit Transfer) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना

निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.01.2017 से राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण **(Direct Benefit Transfer)** योजना के क्रियान्वयन के लिए दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्य–योजना निम्नानुसार है :–

1. **राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्तिः–**

प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुरूप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर को राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावें। राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी के निम्नानुसार दायित्व होंगे :–

- आयुर्वेद, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सा विभागों के निदशकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना निदेशक से समन्वय स्थापित कर क्रमशः विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक छत के नीचे प्राथमिक/सामुदायिक/जिला चिकित्सालयों पर संचालित आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी औषधालयों से संबंधित डाटा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह को प्राप्त करेंगे।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण **(Direct Benefit Transfer)** योजना की मासिक प्रगति की मॉनीटरिंग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार समीक्षा कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर पर अतिरिक्त निदेशक एवं सांख्यिकी अधिकारी की एक मॉनीटरिंग सैल का गठन करेंगे एवं आवश्यकतानुसार उक्त सैल में लेखा सेवा के एक अधिकारी को भी मनोनित कर सकेंगे।
- जिला स्तर पर प्रति माह सूचना के संकलन एवं मॉनीटरिंग हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारियों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त कर सकेंगे।
- सभी जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों से प्राप्त सूचनाऐं एवं परियोजना निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त सूचनाओं को संकलित कर **प्रत्येक माह की 10 तारीख** तक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष भवन, सैक्टर–26, प्रताप नगर, जयपुर को जरिये ई–मेल **pdnamrsas@gmail.com (Excel Format** में **Font-Times New Roman, Size-11)** भिजवाऐंगे एवं सम्पूर्ण संकलित डाटा निदेशालय में सुरक्षित रखेंगे।
- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर आवश्यक निर्देश जारी करेंगे एवं समीक्षात्मक बैठक आयोजित करेंगे।

2. **जिला स्तर पर डाटा संकलन :–**

जिला स्तर पर डाटा संकलन एवं मॉनीटरिंग हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जावे। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के निम्नानुसार दायित्व होंगे :–

- जिला आयुर्वेद अधिकारी जिले में संचालित विभागीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सालयों/औषधालयों की सूचना ब्लॉक अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सूचनाओं का परीक्षण कर कम्प्यूटर में **(Excel Format में Font-Times New Roman, Size-11)** टाईप करवाते हुए संकलित सूचनाऐं प्रत्येक माह की 7 तारीख तक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी, निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान को प्रेषित करेंगे।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अपने जिले के अंतर्गत एक छत के नीचे प्राथमिक/सामुदायिक/जिला चिकित्सालयों में संचालित आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी औषधालयों की ब्लॉक अधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सूचनाऐं प्राप्त कर कम्प्यूटर में **(Excel Format में Font-Times New Roman, Size-11)** टाईप करवाते हुए संकलित सूचनाऐं **प्रत्येक माह की 7 तारीख** तक जिला स्तरीय नोडल अधिकारी (जिला आयुर्वेद अधिकारी) को प्रेषित करेंगे तथा इसकी एक प्रति परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी प्रेषित करेंगे।
- जिला आयुर्वेद अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जिले से संबंधित सूचनाओं का डाटा मासिक आधार पर सुरक्षित रखा जायेगा एवं आवश्यकता पडने पर इसे आयुष मिशन द्वारा मांगा जा सकेगा।
- जिला स्तरीय अधिकारी सूचनाऐं संकलित करने के लिए कम्प्यूटर कार्य में दक्ष जिले में पदस्थापित किसी आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को कार्य व्यवस्था के रूप में प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक अपने स्तर पर लगा सकेंगे, जो कि सहायक नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य सम्पादित करेगा।
- जिला स्तरीय नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप समय–समय पर चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर सकेंगे।
- जिला स्तरीय नोडल अधिकारी आवश्यकतानुसार समय समय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समीक्षा करेंगे।

3. **ब्लॉक स्तरीय डाटा संकलन :–**

ब्लॉक स्तर पर संचालित आयुर्वेद विभाग के चिकित्साधिकारी ब्लॉक नोडल अधिकारी होंगे, जो ब्लॉक में संचालित विभागीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी एवं योग व प्राकृतिक चिकित्सालयों/औषधालयों की सूचना संबंधित चिकित्साधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक प्राप्त करेंगे एवं सभी औषधालयों/चिकित्सालयों की संकलित सूचनाऐं **प्रत्येक माह की 5 तारीख** तक जिला आयुर्वेद अधिकारी (जिला नोडल अधिकारी) को प्रेषित करेंगे।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एक छत के नीचे प्राथमिक/सामुदायिक/जिला चिकित्सालयों में संचालित आयुर्वेद, होम्यो, यूनानी औषधालयों के चिकित्साधिकारियों के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 2 तारीख तक सूचनाऐं प्राप्त कर संकलित सूचनाऐं **प्रत्येक माह की 5 तारीख** तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

4. औषधालय/चिकित्सालय स्तर पर डाटा संकलन :–

- राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण **(Direct Benefit Transfer)** योजना आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की योजना है। जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा एक प्रपत्र (संलग्न) का निर्धारण किया जाकर मासिक रूप से सूचना चाही गई है। इस हेतु सभी विभागीय चिकित्साधिकारी/प्रभारी के दायित्व निम्नानुसार है :–
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र की सूचनाऐं आवश्यक रूप से प्रत्येक माह की 30 और 31 तारीख तक पूरी की जाकर **2 तारीख तक** ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित करेंगे।
- निर्धारित प्रपत्र के कॉलम संख्या 1, 3 से 6 तक आवश्यक रूप से भरेंगे एवं कॉलम संख्या 7 में यदि औषधियां उपलब्ध करवाई गई है या चिकित्सकीय परामर्श दिया गया है तो संबंधित कॉलम में सही का निशान लगायेंगे।
- फारमेट के नीचे कुल लाभान्वितों की संख्या एवं कुल लाभान्वितों में से आधार कार्डधारी लाभान्वितों की संख्या को पृथक से अंकित करना होगा।

सामान्य निर्देश :–

- राष्ट्रीय आयुष मिशन की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण **(Direct Benefit Transfer)** योजना आयुष मंत्रालय, भारत सरकार की महती योजना है। अतः वांछित सूचनाऐं उपरोक्त कार्ययोजना के अनुसार भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
- संबंधित विभागाध्यक्ष भी अपने अधीनस्थ समस्त जिलों में कार्यरत जिला स्तरीय अधिकारियों को उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिये समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी करेंगे।
- सभी विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों तथा एक छत के नीचे संचालित प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला चिकित्सालयों पर पदस्थापित चिकित्साधिकारियों का यह उत्तरदायित्व/कर्त्तव्य होगा कि वे उक्त कार्यक्रम "प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण योजना" के सफल क्रियान्वयन की दिशा में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।
- उक्त योजना के क्रियान्वयन के दिशा में यदि किसी अधिकारी/चिकित्साधिकारी/प्रभारियों/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही या कोताही बरती जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी/चिकित्साधिकारी/प्रभारियों/कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी, जिसके लिए वें स्वंय जिम्मेदार होगें।
- मिशन निदेशक, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं अध्यक्ष कार्यकारी समिति, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी आवश्यकतानुसार निदेशक आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा योजना की समीक्षा भी कर सकेंगे।
- राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी से सूचनाऐं प्राप्त होने पर आयुष मिशन द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निदेशक, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जावेगी।